कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया।

पत्रांकः 264 /14–1 दिनांकःऔरैयाःजुलाई, 28 ,2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0, शासन द्वारा तहसील औरैया के ग्राम अस्ता को ऊँचे स्थान पर बसाये जाने के लिये दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु वन विभाग की भूमि के विनिमय के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सं0– *FP/UP/ReHAB/149021/2021* (Proposed reserved forest land to be diverted for reestablishment of lood prone areas in Gata No. 112, 251, 290/1, 236/1Mi, 239/2, 240/9, 266Mi & 70/5 in Village:- Asta Mustakil, Tehsil:-Auraiya, Dist)

सन्दर्भः– आपकी पत्र संख्या 3296 / 14–1 दिनांक 07.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में आप द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार आपकी सेवा मे सादर प्रेषित है।

क्र0सं0	बिन्दु	आख्या
1	2	3
1	वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशोधित वन (संरक्षण) रूल्स 2022 में विनिमय के आधार पर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग की कोई व्यवस्था है अथवा नहीं का अनुपालन आख्या में स्पष्ट उल्लेख नही है।	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशोधित वन (संरक्षण) रूल्स 2022 में वनभूमि पर पीड़ितों (बाढ़) को वनभूमि पर बसाये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।
2	उपलब्ध कराई गई आख्या मे त्रुटिवस विनिमय शब्द का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव में रक्षित सभी प्रमाण पत्रों को संशोधित क्यो नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट किया जाये कि त्रुटि किस स्तर पर हुई है का अनुपालन आख्या में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।	भूमि प्रबन्ध समिति आख्या द्वारा पारित अपने प्रस्ताव में विनिमय के आधार पर बाढ़ पीड़ितों को ऊँचे स्थान पर बसाये जाने का प्रस्ताव भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा किया गया था चूकि प्रश्नगत प्रस्ताव तहसीलदार औरैया (प्रयोक्ता एजेन्सी/याची) द्वारा परिवेश पॉर्टल पर अपलोड कराया गया था। तो सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों को संशोधित किया जाना (प्रयोक्ता एजेन्सी/याची) के स्तर पर अपेक्षित है।

अतः उक्त प्रकरण मा0 मंत्री उ0प्र0 शासन द्वारा की गई घोषणा से आच्छादित है उक्त प्रकरण मे यह अनुरोध के साथ प्रेषित है कि यथाशीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(इम्तियाज अहमद सिद्दीकी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
औरैया वन प्रभाग, औरैया

पत्रांक– 264 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय, औरैया की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अपर जिलाधिकारी, औरैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– उप जिलाधिकारी, औरैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– तहसीलदार, औरैया को सूचनार्थ प्रेषित।

(इम्तियाज अहमद सिद्दीकी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
औरैया वन प्रभाग, औरैया

O/C

E:\DFO2\DRAFTMEN\Letter 2014-15.doc